नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा स्थानांतरित किए गए विक्रेताओं को उनके नए वेंडिंग कार्ड में दर्शाए गए वैकल्पिक वेंडिंग स्थल, अर्थात् आजीविका भवन की छत पर स्थानांतरित किया जाना निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि आजीविका भवन की छत पर वर्तमान में वाटरप्रूफिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 15 नवंबर, 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सभी संबंधित विक्रेताओं को पुनः सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30 नवंबर, 2026 तक अपने नए वेंडिंग कार्ड में अंकित निर्धारित वैकल्पिक वेंडिंग स्थल, अर्थात् आजीविका भवन की छत पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरित होकर अपना वेंडिंग कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

यदि कोई विक्रेता निर्धारित तिथि तक अपने आवंटित वैकल्पिक वेंडिंग स्थल पर स्थानांतरित नहीं होता है तथा पूर्व की भांति लोअर बाजार में अपने पुराने अथवा अनधिकृत स्थल पर वेंडिंग गतिविधियां संचालित करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नगर निगम शिमला द्वारा लागू उपविधियों एवं संबंधित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें वेंडिंग कार्ड निरस्तध्रद्द किया जाना भी शामिल हो सकता है। इस संबंध में अलग से कोई नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं होगा, यदि लागू नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति हो।

अतः सभी संबंधित विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से पालन करें तथा दिनांक 30 नवंबर, 2026 तक अपने आवंटित वैकल्पिक वेंडिंग स्थल पर स्थानांतरित होना सुनिश्चित करें।

यह सूचना पूर्व में जारी सार्वजनिक सूचना के क्रम में जारी की जा रही है तथा इसे अनुपालन हेतु अंतिम अवसर के रूप में लिया जाए।

आदेशानुसार

आयुक्त
नगर निगम शिमला